कार्यवाही चल रही है। निकट भविष्य में वे भी फिर से चालू हो जाएंगी।

महोदया, अभी जो महाजन कमेटी बिठाई गई है कुछ महीने पहले, सितंबर माह के अंत तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें चीनी से संबंधित सभी बातों पर विचार किया जाएगा जैसे बंद चीनी मिलों को चालू करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा सकती है, उनके माडर्नाइजेशन के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है, उनके विस्तार के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है, चीनी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, रिकवरी बढ़ाने के लिए, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है। वह उच्च स्तरीय कमेटी इन तमाम बातों पर विचार करेगी और सितंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। वह रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसकी अनुशंसाओं पर सरकार विचार करेगी और कार्यवाही करेगी ताकि हिंदुस्तान में चीनी की उत्पादकता में कमी न हो, चीनी की रिकवरी में कमी न हो, बंद चीनी मिलें चालू हो जाएं, किसानों के बकाए का भुगतान हो जाए, चीनी मिलों में कार्यरत मजदूरों के बकाए का भुगतान हो जाए। उस समिति की अनुशंसाओं के मुताबिक सरकार इस विषय में उचित कार्यवाही करेगी।

श्री इकबाल सिंह: महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी माडर्नाइजेशन और टेक्नोलोजी की बात कही है। महोदया, देखने में यह आया है कि चीनी मिलों के बाहर बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं और किसान अपना गन्ना बेचने के लिए 4-5 दिन बाहर खड़ा रहता है और उसको पेमेंट भी नहीं मिलती है। महोदया, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में एक मिल है जिसने किसानों का 37 करोड़ रुपया देना है। किसान को पैसा नहीं मिलता है। किसान गन्ने को जला भी देता है जो कि एक तरह से राष्ट्र का नुकसान है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसान की मदद कैसे की जा सकती है? किसान देश के लिए गन्ना बोता है। उसकी मदद करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं और उन मिलों को जिन्होंने बकाया देना है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? पंजाब में जो सरकार चल रही है, वह अपने आपको किसानों की सरकार कहती है लेकिन अभी तक पंजाब में किसानों को गन्ने की पेमेंट नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर गन्ने की पेमेंट कब होगी?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, मैंने इस संबंध में पहले ही विस्तार से बता दिया है। माननीय सदस्य पंजाब के संबंध में कह रहे हैं। वहां 22 चीनी मिलें थीं जिनमें से एक चीनी मिल लिक्विडेट कर गई है और अब उसके चालू होने की कोई संभावना नहीं है। एक को चालू किया जा रहा है। बाकी 20 चीनी मिलें जिनमें 6 कोऑपरेटिब्ज के अधीन हैं और बाकी 14 प्राइवेट हैं, उनके द्वारा किसानों के पैसे का भुगतान हो जाए, इस पर सरकार नजर रख रही है। मिलों में जो कमियां हैं, जो उनकी रिकवरी कम रहती है या किसानों के गन्ने की खपत नहीं हो पाती, इसके लिए हरेक राज्य में केन ऐक्ट बना हुआ है, अगर किसानों के गन्ने की खपत न हो सके तो इस केन ऐक्ट में क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है। हमारी तो यही कोशिश रहती है किसानों के गन्ने की खपत हो जाए और जो गन्ना मिल में आए, उसका जो ईख मूल्य है, वह किसान को समय पर मिल जाए। नहीं मिल सका तो इसके लिए प्रावधान है कि यदि 14 दिन से ज्यादा देर हो जाती है तो उनको 14 प्रतिशत सूद मिले। इसलिए किसानों के हितों के संरक्षण के लिए ध्यान रखा जा रहा है।

श्री इकबाल सिंह: जिस मिल ने 37 करोड़ रुपये देने हैं, वह मिल तो बंद ही हो गयी है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Better Facilities for Physically Handicapped People

*165. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the steps proposed to ensure better facilities for physically handicapped people;

(b) whether all Govenrment buildings must have ramps etc. for easy access for wheel chair users; and

(c) whether any law has been passed in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI B.S. RAMOOWALIA): (a) Statement is laid on the Table of the House and *(See below)*

(b) and (c) The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 which has been enforced w.e.f. 7.2.96 provides that the appropriate Governments and the local authorities shall within the limits of thier economic capacity and development provide for ramps in public buildings alongwith other measures.

Statement

Central and State Governments have been operating various schemes for the benefit of physically handicapped people. However, Central Government proposes to formulate various new schemes for the people with disabilities during 9th Five Year Plan for implementing the provisions of the Persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act, 1995) to ensure better facilities for physically handicapped people. For this purpose, 5 Core Committees have been set up with the representatives of Government officials and NGOs to ensure better facilities for physically handicapped people. The priority areas identified are as follows:—

(1) Prevention, early detection and intervention

(2) Education including pre-school education.

(3) Creation of barrier-free environment.

(4) Women and children and aged with disabilities.

(5) Vocational training and employment for people with disabilities.

2. Further, a Central Sector Scheme is being formulated to provide comprehensive and coordinated services to the people with disabilities specially for the rural areas. The scheme proposes to create the following infrastructure:

(1) An apex level institution at State level for basic rehabilitation services and manpower development.

(2) Distt. level rehabilitation services for all sectors of disabilities.

(3) Multipurpose rehabilitation workers at Block/PHC level.

CBR workers at community/Gram Panchayat level.

3. National Handicapped Finance and Development Corporation has been incorporated in January, 97 to provide financial support to help disabled interpreneures in taking up self employment activities.

New Goldfield in Karnataka

*166. SHRI PARAG CHALIHA:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Chitradurga in Karnataka is emerging as gold field; and

(b) if so, the details thereof, and measures contemplated by Govenrment to accelerate its development?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) The Geological Survey of India (GSI) has estimated a tentative reserve of 0.6 million tonnes of ore containing 4 gms. per tonne of gold in Chitradurga district of Karnataka. The Central Government have approved the grant of Prospecting Licence (P.L.) over an area of 30 acres in the Chitradurga district on 16.8.1996 in favour of Hutti Gold Mines Ltd. (HGML), a public sector undertaking of the State Government of Karnataka. The HGML is doing prospecting work in the area.